# कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा(छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक/399 A/जि.द./वा–2/202 बलौदाबाजार–भाटापारा , दिनांक 16/03/2020

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के वर्तमान संक्रमण के चलते, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया जाता है कि जिले में कोरोना वायरस की संभावनाओं को देखते हुए धरना प्रदर्शन, रैली, प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस आदि की अनुमति बिना जिला दण्डाधिकारी को सूचित किए, न दी जाए। उक्त हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे। किसी भी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता को बगैर अवगत कराए, धरना प्रदर्शन, रैली, प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस आदि की अनुमति न दिया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दिनांक **05 अप्रैल** 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 14 में लेखानुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

Kbroel
16-03-20

**जिला दण्डाधिकारी**
**जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा**

क्रमांक/399 B/जि.द./वा–2/2020 बलौदाबाजार–भाटापारा, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त ,रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. उप संचालक जनसम्पर्क बलौदाबाजार को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/कसडोल/बिलाईगढ़ को तद् अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सर्व कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ ।

Kbroel

**जिला दण्डाधिकारी**
**जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा**

Scanned by CamScanner